That is the difficulty, and that is why I

Employees o AI and IA Involved in smuggling o Goods

*25. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA:

SHRI NIHAL SINGH:

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5577 dated the 26th March, 1982 regarding employees of AI and IA involved in smuggling of goods and state:

(a) whether the requisite information has since been collected;

(b) if so, the particular thereof;

(c) the action taken against the persons concerned; and

(d) in case the said information has not so far been collected, further time likely to be taken in collecting the information?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI A. P. SHARMA): (a) to (d). The requisite information received from Indian Airlines and Air-India pertaining to the years 1980 and 1981 is laid on the Table of the Sabha. However, this information is being cross checked with the Ministry of Finance (Department of Revenue) and a final statement will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Statement

Involvement of employees of Indian Airlines and Air-India in smuggling activities during **1980** *and* **1981.**

INDIAN AIRLINES

S.No.	Name & Designation	Date	Place/Air port.	Articles seized.	Approx. Value.	Action taken
1	2	3	4	5	6	7
1	Mr. P.P. Varma, Captain, Delhi.	8-8-1980	Princess & Victoria Docks Bombay.	Hi-Fi Stereo Casette Printer-Model Copyer	Rs. 40,000/-	All cases are pending in Courts.
2	Mr. P. L. Vadhera, Office Superintendent, A & P Section, Palam, Delhi.	17-2-1981	Palam, Delhi.	Radio Casette Recorders, Sarees, Photographic materials.	Rs. 16,000/-	
3	Mr. S. P. Rateja, Traffic Assistant, Palam, Delhi	17-2-1981	Palam, Delhi	Radio Casette Recoders, Sarees, Photographic materials.	Rs. 15, 000/-	
4	Mr. Om Prakash Sharma Traffic Assistant, Palam, Delhi.	19-8-1981	Palam, Delhi	Electronic parts.	Rs. 5800/-	
5	Mr. V. R. Srinivasan, Flight Madras.	24-1-1981	Madras	12 Qts. of Ballentine Scotch Whisky, 4 Pant bits, US$ 175/- and Guldns. 110/-.	Rs. 3677/-	Goods confiscated. The case was adjudicated and he was exonerated of all the charges. No penalty was imposed.
6	Mr. M. S. Dinakar, Traffic Superintendent, Madras.	31-3-1981	On search of his residence at Madras.	Various goods of foreign origin.	Rs. 5910/-	The case is under adjudication.
7	Mr. L.S. Dixit E.D.P. Officer, IA Hrs.	26-3-1981 (Chargesheeted)	Madras. 2-11-1980.	US $ 600/- undeclared	—	Foreign currency confiscated. Warning letter issued and case closed.

1	2	3	4	5	6	7
8	Mr. Prakash Chand Galhotra, Stenographer, Cabin Crew, Training School, New Delhi.	21-5-1981 (Chargesheeted)	Madras 2-11-1980	US $ 400/- undeclared.	..	Confiscated. Warning letter issued & case closed.
9	Mr. Madan Lal Makkar, Accounts Assistant, IA HQrs.	28-9-1981 (Chargesheeted)	Madras 2-11-1980.	US$ 900/- undeclared and Indian Rs. 450/-	..	The currency notes were confiscated. Warning letter issued and case closed.

AIR-INDIA (SMUGGLED INTO INDIA)

S.No.	Year	Name and Designation	Place at which arrested by the Customs	Nature and value of the articles seized	Action taken by the Managemen
1	2	3	4	5	6
1	1980	Mr. R.S. Pawar Air craft Technician S'Cruz	Santa Cuz	23 wrist Watches 36 calculators Valued Rs. 38,200/-(M.V.)	Removed from Service w.e.f.11-2-1982
2	1981	Mr. L. Thomas Handyman, Commercial Delhi	Delhi Airport	1) 60 Citizen watches 2) 189 Steel Band wrist watch chains 3) Indian currency valued at Rs 4,500/- Total value of the articles Rs. 25,000/-	Suspended pending enquiry w.e.f. 14-10-81, pending final disposal of criminal action by Customs authorities
3	1981	Miss Madhu Methta Air Hostess Inflight Service	Santa Cruz Bombay	1) A pair of technics line car phase speaker system Modle-SB-2-Sr. No. VDOL-25 FO 55/46- 2) 1 citizen Quartz ova shaped ladies wrist watch 3) 1 Technics stores castte deck model-RSMO4 4) 1 Technics Stores integrated DC amplifier SU-008 XM 5) The said casettes, deck amplifier and the pair of speakers totalling value of Rs. 13,680/- at the local market rate. 6) 1 Citizen Travelling clock	Awarded punishment of 'Reduction in 2 stages of pay scale for 2 years and suspension of air passage entitlements upto March 31, 1983.
4	1981	Mr. M. Raverdy Manager-Airport Geneva	Santa Cruz Airport Bombay	1) Parts of Wrist watches valued Rs. 3,91,-200 (CIF) and Rs. 11,73 (lakhs) M.V.	His Services have been terminated in December 1981

AIR-INDIA (SMUGGLED OUT OF INDIA).

1	2	3	4	5	6
1	1980	Mr. M.A. Bhavnagarwala, Traffic Assistant, Santa Cruz	Santa Cruz	1) Silver worth Rs. 95,300/-	The case is pending with Custom Hence no departmental action could be taken.
2	1980	Mr. S.B. Shetty, Clerk	Santa Cruz Airport Bombay	1) Hashish of the value of Rs. 15,000/-	He resigned from service hence no departmental action could be taken against him.
3	1980	Mr. M.B. Ratnakar Storekeeper Stores Dept., S'Cruz	Cargo Complex, Sahar Airport Bombay	1) Smuggling of 125 Silver bars weighing 101.880 kgs. valued at 2.6 lakhs.	Suspended pending enquiry w.e.f. 16-4-80 pending final disposal of criminal action taken by Customs Authority.
4	1980	Mr. R.M. Gaikwad Typist-Clerk, Engineering, Santa Cruz,	Santa Cruz	1) Aiding and smuggling of Hashish worth Rs. 72,000/-	Removed from service w.e.f. 13-4-1981
5	1980	Mr. D.A. Mistry, Loader, G.S.D. S'Cruz	Santa Cruz Bombay	1) 349 Kgs. of silver worth Rs. 8,61,000/-	Suspended pending enquiry w.e.f. 28-8-80 pending final decision by the Court.
6	1980	Mr. A.V. Salgaonkar, Loader G.S.D Santa Cruz.	Santa Cruz, Bombay	1) 349 Kgs. of silver worth Rs. 8,61,000/-	Same as above
7	1980	Mr. O.H. Tagore, Loader G.S.D., Santa Cruz	Santa Cruz,	1) 349 Kgs. of silver woth Rs. 8,61,000/-	Same as above
8	1980	Mr. R.B. Singh, Sr. Security Asst., HQ, Bombay	Sahar Airport, Bombay	1) 42 Kgs. of opium/hashish	The staff is under suspension pending enquiry.
9	1980	Mr. G.R. Baria, Loader, Santa Cruz	London Airport	1) Cannabis weighing 17,4 Kilograms valued at UK 25,000/-	Dismissed from service w.e.f. 9-8-81.
10	1981	Mr. A.F. Coutinho, A.F.P. Inflight Service S'Cruz	Sahar, Bombay	1) Seizure of foreign exchange currency equivalent to Rs. 12 lakhs	Suspended pending enquiry w.e.f. 3-1-81 pending final decision by the Court.
11	1981	Mr. L. Charles Flight Purser Inflight Service, S'Cruz	Rome	1) Arrested in Rome for smuggling of 16 Kgs Hashish and 40 gms. oil	Under suspension from 22 July 1981 pending final disposal of the case in Rome.

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष जी, मंत्री जी से यह सवाल मार्च 26 को पूछा गया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि इन्फार्मेशन कलैक्ट की जा रही है। आज भी जवाब में कहा गया है कि अभी मिनिस्ट्री-आफ-फाइनेंस-डिपार्टमेंट रिवेन्यू से क्रांस चैकिंग की जा रही है। इसका मतलब यह है कि अभी भी मंत्री जी अपना जवाब सदन में देते हुए निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि क्या बात सही है। मंत्री जी द्वारा जो सदन के समक्ष टेबिल प्रस्तुत की गई है, उसमें इंडियन एयरलाइन्स के स्मगलिंग के नौ मामले सामने आए और एयर-इंडिया के 11 मामले। इन बीस मामलों में जिस तरह की कार्यवाही हुई है, उस कार्यवाही को देखने से ऐसा लगता है कि इन सारे मामलों में कहीं-न-कहीं घपला है। किसी मामले में तो सर्विस से रिमूव कर दिया, किसी मामले में रैजिगनेशन एक्सेप्ट कर लिया, किसी मामले में कोर्ट में चालान पेश कर दिया और किसी मामले में अभी एडजुडिकेशन हो रही है। अभी माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे थे स्मगलिंग को कम करने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ एयर-इंडिया और इंडियन-एयरलाइन्स के कर्मचारी स्मगलिंग में शरीक हों और सरकारी कारपोरेशन के लोग शरीक हों और इस स्थिति में भी आपने एक मामले में किसी को सजा नहीं दी, एक मामले में आपने उनके खिलाफ कोई गंभीर कार्यवाही नहीं की, बल्कि इंडियन एयरलाइन्स के सभी मामलों में आपने एडजुडिकेशन और पेनल्टी करके उनको छोड़ दिया है। क्या आप के इंडियन एअर लाइन्स और एअर इंडिया के लिये यह उचित है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कम से कम नौकरी से हटाने की कार्यवाही भी नहीं कर सकते ? आखिर इस का कोई कारण तो होगा ? इतनी बड़ी तनख्वाहों पर ये लोग काम करते हैं. . .

अध्यक्ष महोदय : सवाल तो हो गया।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं--क्या कारण है कि आप ने इन लोगों को नौकरी से नहीं हटाया . . ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो आपने पहले ही पूछ लिया है।

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या उन को नौकरी से हटाने में कोई कानूनी बाधा है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : स्टेटमेंट के अन्दर मैंने यह कहा है कि अभी इस का क्रास-चेकिंग होना बाकी है, इस लिये कि कुछ ऐसे केसेज हैं जो एअर-इण्डिया की लिस्ट में हैं और कुछ ऐसे हैं जो फाइनेन्स मिनिस्ट्री की लिस्ट में हैं। जो केसेज फाइनेन्स मिनिस्ट्री की लिस्ट में हैं वे एअर-इण्डिया की लिस्ट में नहीं हैं और जो एअर-इण्डिया की लिस्ट में हैं वे फाइनेन्स मिनिस्ट्री की लिस्ट में नहीं हैं. . (**व्यवधान**) . .

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप कौन सी लिस्ट में हैं--यह बतला दीजिये।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बातें बतलाई हैं, वे बिलकुल सही हैं, लेकिन इस में माननीय सदस्यों को और खास तौर से एक माननीय सदस्य जो वित्त मंत्री रह चुके हैं उन को आश्चर्य नहीं होना चाहिये, क्योंकि इस तरह के जितने केसेज होते हैं—जब तक एक एअर पोर्ट का कस्टम डिपार्टमेंट एअर इण्डिया को रिपोर्ट नहीं करता है उन की लिस्ट में नहीं आती है, इसी तरह से एअर इंडिया के जो केसेज होते हैं अगर कस्टम के जरिये उन का आपस में कोआर्डिनेशन नहीं हुआ है तो इस तरह के डिफरेंसेज हो सकते हैं। इस तरह के जो केसेज हुए हैं और जितनी तादाद में हुए हैं, उन में से दो-तीन केसेज ऐसे हैं जिन की क्रास चेकिंग हम कर रहे हैं . . . .

श्री चन्द्रजीत यादव : क्वेश्चन पूछें-- साढ़े तीन महीने से ज्यादा समय हो गया है, इतना समय क्यों लिया गया ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं उसी पर आ रहा हूं । इस प्रश्न के दो हिस्से हैं, मैं दूसरे प्रश्न पर भी अभी आ रहा हूं। यादव जी ने पूछा कि कितने दिनों में जवाब रखेंगे . . .

श्री चन्द्रजीत यादव : मैंने यह नहीं पूछा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि साढ़े तीन महीने से ज्यादा समय इस पर क्यों लगा और आज भी आप इसका जवाब नहीं दे सके हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैंने आपके सामने स्टेटमेंट्स रखे हैं और जो डिस्क्रीपेंन्सी नजर आई है उसके लिये मैंने कहा है कि उसको ठीक करके आपके सामने रखूंगा ।

प्रश्न का दूसरा हिस्सा यह है कि इसमें जो कार्यवाही की गई है जैसे कहीं पर लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, कहीं पर कोई और सजा दी गई है, कई केसेज एडजूडिकेशन में हैं, कई कोर्ट के अन्दर हैं, मैं माननीय सदस्य और माननीय सदन को यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो केसेज होते हैं वे हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं होते हैं अगर कोई केस एडजूडिकेशन में गया है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं । वे जल्दी निबटाये या न करें, इसके लिये मैं कैसे जवाब दे सकता हूं । कोर्ट में कई केसेज हैं—कोर्ट कितने समय में फैसला देगी—इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं। इसीलिये यह ब्योरा दिया गया है । इसमें सिर्फ दो बातें हैं—एक तो जिनको नौकरी से निकाल दिया गया, दूसरे जो कोर्ट केसेज हैं, एडजूडिकेशन में हैं, जिनमें डिपार्टमेंट से कह दिया गया है कि तुम एक्शन लो, उनमें हमने एक्शन लिया है . . .

श्री जगपाल सिंह : उनके केसेज भी कोर्ट में चल रहे हैं या नहीं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : उनके केसेज कोर्ट में नहीं हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है । इस तरह से भिन्न-भिन्न स्थिति हैं जो इस स्टेटमेंट में आपके सामने रखी गई है जहां पर यह जुर्म साबित हुआ है और ज्यादा उस का दोष रहा है, तो उसको नौकरी से निकाल भी दिया गया है और कहीं पर उससे कम सजा भी दी गई है ।

श्री नवल किशोर शर्मा : मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि मामले आदलतों में हैं या एडजूडिकेशन आथेरिटीज के सामने हैं, इसलिये वे कार्यवाही करने में मजबूर हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि अदालत में जाने से या एडजूडिकेशन में जाने से क्या कोई डिपार्टमेंटल कार्यवाही करने में रुकावट है और अगर डिपार्टमेंटल कार्यवाही करने में रुकावट नहीं है, तो क्या वजह है कि इन लोगों के खिलाफ आपने कोई डिपार्टमेंटल कार्यवाही नहीं की और डिपार्टमेन्टल कार्यवाही करके इनको सस्पेंड नहीं किया, इन को डिसमिस नहीं किया मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी क्या वजह है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : माननीय सदस्य एक बहुत नामजद वकील हैं और उनको मालूम होना चाहिए कि जब कोई मुकदमा कोर्ट के अन्दर चल रहा है . . .

अध्यक्ष महोदय : नामजद हैं या नामवर ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : नामवर । बंगाली में वैसे इस को नामजद भी बोला जाता है ।

I think my hon. friend Mr. Chatterjee will understand the word.

मैं यह कह रहा था कि जब कोई केस कोर्ट के अन्दर चल रहा हो, तो क्या ऐसा करना मुनासिब होगा क्योंकि

कोर्ट सजा दे सकती है, कोर्ट नौकरी से निकालने की सजा भी दे सकती है और कोई सजा भी दे सकती है । जब कोर्ट के अन्दर कोई मुकदमा जल रहा है, उसके पहले कोई डिपार्टमेंटल कार्यवाही की जाये, यह कोई उचित बात है। . . (व्यवधान) . .

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं आपकी प्रोटेक्शन चाहता हूं । जो हाउस में सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब मंत्री जी दें । ऐसी चीजें तो साधारण आदमी भी जानता है ।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास भेज देंगे ।

श्री निहाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर जो यह विवरण रखा गया है, यह केवल 1980-81 का है । इसके पहले कितने लोग तस्करी में थे, इसका विवरण नहीं है । जो पकड़े गये हैं, उनका विवरण है और जो नहीं पकड़े गये, वे कितने हैं, यह नहीं मालूम है । जब कर्मचारी ही तस्करी में लिप्त हों, तो जो दूसरे तस्कर हैं, वे कितनी तस्करी करते होंगें, इसकी कल्पना की जा सकती है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आगे भविष्य में जो कर्मचारी तस्करी में पकड़े जायेंगे, उनको तुरन्त नौकरी से बर्खास्त करने के लिये क्या वे कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जो पकड़े जायेंगे, उनके खिलाफ ही कार्यवाही करेंगे । जो नहीं पकड़े जायेंगे, उनके खिलाफ कैसे कार्यवाही होगी, यह बड़ा अजीब प्रश्न आप पूछ रहे हैं । जो लोग इस तरह का काम करते पकड़े जायेंगे, उनके खिलाफ ही कार्यवाही होगी ।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: May I know from the hon. Minister. . (*Interruptions*).

SHRI A.P. SHARMA: Let me complete my answer to the hon. Member's question. I have not completed it .

इनके प्रश्न का दूसरा हिस्सा यह है कि आगे जो पकडे जायेंगे उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की जायेगी । मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आगे पकडे जायेंगे, उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायेगी ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर रोक

*26. **श्री चन्द्र पाल शैलानी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर रोक केन्द्र सरकार द्वारा किस तारीख से लगाई गई है और उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या पिछले कुछ महीनों में गोहाटी स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालय ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भाग विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिये जायें ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटक महत्व के स्थानों में सदाशयी विदेशी पर्यटकों के प्रवेश